राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )ब.घो.22-23/61/मिरासी//छात्र/सान्याअवि/19/75754 जयपुर,दिनांकः 17-01-23

मिरासी एवं भिश्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के दिशा-निर्देश-2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2022-23 हेतु की गई बजट घोषणा संख्या 61 की अनुपालना में मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए राजस्थान मूल के मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विधार्थियों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अध्ययन करने के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (POST MATRIC SCHOLARSHIPS) योजना के लिए निम्न प्रकार दिशा-निर्देश बनाये जाते है।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-

I. ये दिशा-निर्देश मिरासी एवं भिश्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के दिशा-निर्देश-2022 कहलायेगें।

II. दिशा-निर्देश सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

III. दिशा-निर्देश वर्ष 2022-23 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ :

I. राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

II. विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।

III. प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

IV. आयुक्त/निदेशक, से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

V. विधार्थी से तात्पर्य, राजस्थान मूल के मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विधार्थियों से है।

vi. मूल निवासी से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र धारक विधार्थी से है।

vii. जिलाधिकारियों से तात्पर्य जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

3. शिक्षण संस्थाओं के लिए पात्रता की शर्तें :–समस्त मान्यता प्राप्त उत्तर मैट्रिक पाठ्यक्रम (इंटरमिडियट/उच्च माध्यमिक, डिप्लोमा दीर्घकालिक व्यवसायिक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आदि) को मान्यता प्राप्त संस्थानों/ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय जो कि निम्नानुसार 9 श्रेणियों से सम्बधित हो।

i. शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्तर की हो।

ii. केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त कॉलेज और यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज।

iii. डीम्ड विश्वविद्यालय।

iv. राज्य/केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी विश्वविद्यालय।

v. किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय से सबंद्ध निजी व्यवसायिक संस्थान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य शुल्क समिति द्वारा कवर किया गया।

vi. कक्षा 11 व 12 के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेज।

vii. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान।

viii. व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीवीटी) से सम्बंद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान।

ix. NMC/AICTE आदि जैसे उपयुक्त निकायों द्वारा सम्बंद्ध/ अनुमोदित संस्थान या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा स्थापित कोई नियामक निकाय।

x. AISHE/UDISE CODE प्राप्त शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय ही छात्रवृति योजनान्तर्गत पात्र है।

4. विधार्थियों के लिए पात्रता की शर्तें :-

i. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

ii. मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मिरासी एवं भिश्ती समुदाय का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

iii. मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) राशि रूपये 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय/बोर्ड/निगम/निजी सेवा में सेवारत/ कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

iv. यह छात्रवृति राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों (Post Matriculation or Post Secondary Courses) में अध्ययन हेतु देय होगी, लेकिन एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर्स तथा प्राईवेट पायलट लाईसेंस पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण पोत डफरिन (वर्तमान में राजेन्द्रा) पर संचालित पाठ्यक्रमों, सैन्य महाविद्यालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अखिल भारतीय और राज्य स्तर के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रमों में यह छात्रवृति नही दी जायेगी।

v. कोई भी छात्र एक बार किसी भी विषय से कोई कक्षा पास कर लेने के बाद किसी दूसरे विषय से उसी स्तर में पढाई करने के लिए छात्रवृति का पात्र नहीं होगा। जैसे बी.ए. करने के बाद बी.कॉम या अन्य विषय से ग्रेजुएशन करना इसी प्रकार एम.ए. किसी अन्य विषय में करने के लिए छात्रवृति नहीं दी जायेगी।

vi. अगर कोई छात्र चिकित्सा में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन कर रहा है तो वह छात्रवृति का पात्र होगा, यदि पाठ्यक्रम के दौरान उसे प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई हो।

vii. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृति/वृत्तिका नहीं लेंगे, अगर किसी छात्र को कोई दूसरी छात्रवृति/वृत्तिका मिलती है, तो दोनो में से किसी एक लाभकारी

विकल्प को चुन सकता हैं, तथा इस संबंध में अपने संस्थान के अधिकारी के माध्यम से छात्रवृति के स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अपने विकल्प चयन के बारे में सूचित करना होगा। दूसरी छात्रवृति/वृत्तिका स्वीकार करने के दिन से इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृति देय नहीं होगी, तथापित छात्र इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृति के अतिरिक्त राज्य सरकार या अन्य स्त्रोतों से पुस्तके, साधन (Equipment) कय, आवास एवं भोजन के व्यय हेतु अनुदान या तदर्थ वित्तीय सहायता के रूप में मदद स्वीकर कर सकता है।

5. **छात्रवृति की राशि** (Value of Scholarship)

छात्रवृति की राशि में पाठ्यकम का अनुरक्षण भत्ता, व अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non Refundable) का पुनर्भरण किया जावेगा।

i निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह):- मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत पाठ्यकमों का समूहीकरण तथा देय निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दरें।

पाठ्यकर्मों का समूहीकरण	वार्षिक (रूपयों में)		
	शैक्षणिक भत्ता	शिक्षण शुल्क (अधिकतम)	कुल योग
समूह '1' स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम			
i. चिकित्सा शास्त्र (एलोपैथिक भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों), अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, आर्कीटेक्चर, डिजाईन, फैशन टैक्नोलॉजी, कृषि, पर्यावरण, समुद्र विज्ञान, पशु-चिकित्सा एवं संबंद्ध विज्ञानो, प्रबंधन, व्यावसायिक वित्त/प्रशासन तथा कम्प्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान को सम्मिलित करते हुए) पाठ्यकम।	10000	10000	20000

ii. मेनेजमेन्ट एण्ड मेडिसिन की विभिन्न ब्रांचो में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम iii. सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए इत्यादि iv. एम.फिल, पीएचडी एण्ड पोस्ट डॉक्ट्रेरल प्रोग्राम्स (डी.लिट, डी.एससी इत्यादि) (a) In existing Group 2 courses (b) In existing Group 3 courses v. एल.एल.एम.			
समूह '2' अन्य डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व्यवसायिक पाठ्यक्रम i. स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फार्मेसी (डी फार्मा), बी फार्मा नर्सिंग (वी.एससी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे रेहाब्लिाईजेशन डाईग्नोस्टिक आदि, मास कम्यूनिकेशन, हॉटल मेनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग, ट्रेवल/ ट्यूरिज्म/ हॉस्पिटीलिटी मेनेजमेन्ट, इंटिरियर डेकोरेशन, न्यूट्रेशन एण्ड डाईटेटिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं (जैसे बैंकिंग, बीमा, कर इत्यादि) जिन पाठ्क्रर्मो के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सैकेण्डरी (10+2) एवं व्यवसायिक प्रवाह कोर्स है। ii. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह 1 में शामिल नहीं किये गये है जैसे एमएड/ एमफार्मा इत्यादि।	8000	5000	13000
समूह '3' स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सभी अन्य स्नातक, स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम जो समूह 1 और 2 में शमिल नहीं है। जैसे बी.ए./बी. एस.सी./बी.कॉम/एम.ए./एमएससी/ एमकॉम आदि।	6000	2000	8000

समूह '4' मैट्रिक पश्चात् (कक्षा 11 एवं 12 स्तरीय) **समस्त गैर डिग्री** पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यकम जिनमें प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा दस) है, जैसे सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य और व्यावसायिक दोनो पाठ्यकम, आईटीआई पाठ्यकम, पोलोटैक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यकम इत्यादि।	5000	0	5000

नोट :-

i. सामान्यतया छात्रावास का आशय छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थान के प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में चलने वाला सार्वजनिक आवासीय भवन और सार्वजनिक भोजनालय (Mess) से है। ऐसी परिस्थिति में जहां शिक्षण संस्थान के प्राधिकारी छात्रावास में स्थान उपलब्ध करवाने में असमर्थ हो, तो उस स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रहने की जगह को इस योजना के तहत छात्रावास माना जायेगा, परन्तु ऐसी जगह संस्था प्रधान के द्वारा निरीक्षण के बाद अनुमोदित होनी चाहिये, तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उस छात्र के संबंध में दिया जाना होगा, कि इस छात्र को शिक्षण संस्थान में जहां वह अध्ययनरत है, को छात्रावास में स्थान देने में वे असमर्थ है। आगे यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस प्रकार के छात्रावास जो किराये पर लिया गया है में कम से कम एक साथ पांच छात्रों की रहने की व्यवस्था है तथा उनके लिए सार्वजनिक मैस की व्यवस्था है।

ii. मुफ्त आवास या भोजन की सुविधा दिये जाने वाले छात्रों को छात्रावासी अनुरक्षण भत्ते एक तिहाई दर से दिये जायेंगे।

ii शुल्क (Fees) :-संस्था, विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले नामांकन/पंजीकरण, शिक्षण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा, परीक्षण व इस तरह के अन्य अनिवार्य शुल्क, छात्रों को भुगतान किये जायेंगे। तथापि इसमें प्रतिदेय (Refundable) शुल्क जैसे कॉशन मनी, शुल्क, सुरक्षा जमा (Security Deposit) शुल्क को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

नोट :-

केन्द्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित फीस संरचना के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में निःशुल्क (Free) सीट व भुगतान (Paid) सीट पर लिये गये अनिवार्य अप्रतिदेय (Non-Refundable) शुल्कों का पुनर्भरण किया जावेगा तथापि भुगतान सीटों पर छात्रवृति स्वीकृत करने से पूर्व आय का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

6. **फीशिप** कार्ड :- छात्रवृति दिशा-निर्देश अनुसार प्रत्येक पात्र विद्यार्थी शिक्षण संस्थान में शिक्षण शुल्क एवं छात्रावास फीस का बिना पूर्व भुगतान किये प्रवेश का पात्र होगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थी के लिए एक फ्री-शिप कार्ड जारी किया जावेगा जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

i. विद्यार्थी द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर फ्री-शिप कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जावेगा।

ii. छात्रवृति दिशा-निर्देश अनुसार सम्बधित शैक्षणिक सत्र में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा जो कि अधिकृत बोर्ड/विश्वविद्यालय/काउंसिल/ऐजेसी द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन प्रमाणित की गई हो।

iii. छात्रवृति दिशा-निर्देश अनुसार विद्यार्थी की पात्रता सिद्ध करने वाले समस्त दस्तावेज यथा सम्भव ऑनलाईन वैब-सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के डिजिटल डेटा-बेस से स्वतः सत्यापित स्वरूप में प्राप्त किये जावेगे। यथा- जाति, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज आदि।

iv. पात्रता की स्थिति में पोर्टल द्वारा स्वतः ही फ्री-शिप कार्ड जारी किया जावेगा जो कि विद्यार्थी द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

v. फ्री-शिप कार्ड जारी होने के पश्चात फ्री-शिप कार्ड विवरण शिक्षण संस्थान को भी प्रदर्शित होगा जिसे शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर स्वतः छात्रवृति आवेदन पत्र में परिवर्तित हो जायेगा, जिस पर बिना फीस रसीद संलग्न किये गये शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

vi. फ्री–शिप कार्ड के आधार पर जारी छात्रवृति का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जावेग, जिसे विद्यार्थी द्वारा शिक्षण संस्थान को 7 दिवस में ही भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

7. **विद्यार्थी का चयन :–**

i. मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के सभी पात्र विधार्थी जो इस दिशा निर्देशों के तहत पात्रता की शर्तो को पूर्ण करते हैं, में से योग्यता के आधार पर अधिकतम 2000 विद्यार्थियों को प्रति शैक्षणिक सत्र में उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में छात्रवृति दी जावेगी।

ii. उपरोक्त वर्णित छात्रों को जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं परन्तु राज्य के बाहर राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत है, को सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने पर नियमानुसार विभागीय नीति के अनुरूप छात्रवृति देय होगी।

iii. मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति अथवा इन दिशा निर्देशों के तहत छात्रवृति के लिए ही आवेदन कर सकता है।

8. **छात्रवृति की अवधि तथा नवीनीकरण**

i. यह छात्रवृति पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए देय होगी, जब पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्ष की अवधि का है, नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जायेगा, तथा यह पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक लगातार होता रहेगा, अगर छात्र आगामी उच्च कक्षा में कक्षोन्नति प्राप्त करता रहे, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि परीक्षा विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जिसने भी करवायी हो।

ii. अगर कोई छात्र बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक/अप्रत्याशित कारण से वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, उस स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए उसकी छात्रवृति की नवीनीकरण की जा सकती है लेकिन छात्र को परीक्षा में शामिल नहीं होने के कारण समुचित प्रमाण अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने संस्थान के प्रमुख की सन्तुष्टि के लिए जमा करना होगा

तथा संस्थान के प्रमुख को सत्यापित करना होगा कि अगर छात्र परीक्षा में शामिल होता तो यह अवश्य ही सफल होता।

iii. अगर राजकीय विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान नियम के अनुसार किसी छात्र को पिछली कक्षा में असफल होने के बावजूद अगली कक्षा में प्रोन्नति मिल जाती है जबकि कुछ समय बाद पुनः उस छात्र को पिछली कक्षा की परीक्षा देनी होगी, वह अगली कक्षा की छात्रवृति का पात्र होगा, अगर छात्र अन्य मामलों में छात्रवृति लेने का पात्र हो।

9. आई.टी. फ्रेम वर्क :- योजना का संचालन यथासंभव ऑनलाईन प्लैट फार्म के माध्यम से किया जावेगा जिससे कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सक्षमता एवं नियत समय में लाभार्थी को सहायता दी जा सकें। जिसके अन्तर्गत यथा संभव निम्न विशिष्ठताऐं होगीः-

i. शिक्षण संस्थान का डेटा एआईएसएचई/यूडाईस पोर्टल से इन्टीग्रेशन के माध्यम से प्राप्त किया जावेगा।

ii. विद्यार्थियों के यथा सम्भव दस्तावेज एवं विवरण जारीकर्ता एंजेसी के डिजिटल डेटाबेस से वैब सर्विस के माध्यम से सत्यापित स्वरूप में ऑनलाईन आवेदन के समय ही प्राप्त किया जावेगा।

iii. विद्यार्थियों की शिक्षण संस्थान में उपस्थिति की सुनिश्चिता हेतु आधार बैसड उपस्थिति व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर ही बॉयोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जायेगी जो यथासंभव न्यूनतम अंतराल में किया जाना अनिवार्य होगा।

10. विधार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजः- मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक हैः-

i. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/वर्ग के प्रमाण पत्र की प्रति।

iii. आय प्रमाण पत्र की प्रति। (आय प्रमाण-पत्र अधिकतम 12 माह से अधिक पुराना नहीं हो अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो)।

iv. विधार्थी के जनाधार कार्ड तथा आधार कार्ड की प्रति।

v. विधार्थी को अपने स्वयं के बैंक खाते से सम्बंधित बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता नम्बर, बैंक आईएफएससी कोड एवं एमआईसीआर नम्बर (MICR NO) ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।

vi. छात्र द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार की फोटो।

vii. पूर्व उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री की प्रति।

viii. फीस की मूल रसीद।

ix. गैप प्रमाण पत्र (अगर छात्र की नियमित अध्ययन अवधि में किसी वर्ष गैप रहा है तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए स्वयं का एक शपथ पत्र अपलोड करना होगा)।

11. **भुगतान :–**

i. योजनान्तर्गत अनुरक्षण भत्ता शैक्षणिक सत्र में 1 अप्रैल अथवा प्रवेश की तिथि जो भी बाद में हो, से देय होगा (अनुरक्षण भत्ता में अवकाश भी शामिल होंगे)। यदि छात्र अपना प्रवेश महीने की 20 तारीख के बाद करवाता है तो छात्रवृति की रकम प्रवेश के अगले महीने से ही दी जायेगी। 20 तारीख तक प्रवेश लेने पर छात्रवृति की राशि प्रवेश के महीने से दी जायेगी।

ii. अनुरक्षण भत्ता प्रवेश तिथि से अधिकतम 10 माह तक का ही देय होगा।

iii. अगर पूर्व वर्ष की छात्रवृति का नवीनीकरण किया जाता है, तो अनुरक्षण भत्ता पिछले वर्ष के जिस माह तक छात्रवृति का भुगतान किया गया है उसके अगले माह से देय होगा, यदि उस पाठ्यक्रम की पढाई सतत् जारी है।

iv. अगर कोई छात्र एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम या अन्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुता के दौरान किसी प्रकार का आर्थिक लाभ उठाता है तो उस अवधि के लिए छात्रों को छात्रवृति की अदायगी नहीं की जाएगी।

12. **भुगतान प्रक्रियाः–** छात्रवृति का भुगतान आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में ही किया जायेगा। आवेदक अपना बैंक खाता अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक में खुलवा सकता है।

13. छात्रवृति के लिए अन्य शर्तें :-

i. छात्रवृति छात्र के आचरण तथा सन्तोष जनक प्रगति पर निर्भर रहेगी। संस्था प्रधान द्वारा यदि किसी छात्र के बारे में संतोषजनक प्रगति न होने, किसी हडताल में शामिल होने के फलस्वरूप दोषी पाये जाने पर या प्राधिकृत अधिकारी की बिना अनुमति अनुपस्थित/अनियमित रहने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर छात्रवृति स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उस छात्र की छात्रवृति को निरस्त कर सकेगा या उस अवधि के लिये रोक सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

ii. अगर कोई छात्र गलत तथ्यों के आधार पर छात्रवृति लेते हुए पाया गया हो तो उसकी छात्रवृति निरस्त कर दी जायेगी तथा छात्रवृति की जितनी रकम दी गई है, वापस ले ली जायेगी। इस तरह के किया कलाप से संबंधित छात्र को हमेशा के लिए किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृति से विवर्जित (Debarred) कर दिया जायेगा तथा उसे अपात्र सूची (Black List) में डाल दिया जायेगा।

iii. अगर कोई छात्र पाठ्यकम वर्ष के दौरान अपना अध्ययन जिसके लिए उसे छात्रवृति दी जा चुकी है, बीच में छोड देता हैं तो वह राज्य सरकार के विवेकानुसार छात्रवृति की ली गयी राशि को वापस करने के लिए बाध्य हैं।

14. योजना की उद्घोषणा : राज्य सरकार द्वारा योजना का विस्तृत विवरण तथा ऑनलाईन आवेदन आमंत्रण के लिए प्रचार-प्रसार किया जावेगा। आवेदन पत्र तथा अन्य किसी विवरण के लिए सभी अनुरोध प्रत्याशी को जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/राजकीय शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानो/स्वीकृति कर्ता अधिकारी से करना चाहिए।

15. आवेदन करने की प्रकिया :-

I. मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विभाग आवश्यकतानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दिनांक तथा अंतिम तिथि की घोषणा करेगा।

II. विधार्थी द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा जॉच के उपरान्त सही/पूर्ण पाये जाने पर सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित किया जावेगा।

16. स्वीकृतकर्ता अधिकारी

i. कक्षा 11 व 12 के लिए **निदेशक माध्यमिक शिक्षा** को बजट आवंटित किया जावेगा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से छात्रवृति वितरण करेंगे।

ii. कक्षा 11 व 12 वीं के बाद **अध्ययनरत विद्यार्थियों** के आवेदन पत्रों को विद्यार्थी के गृह जिले के जिलाधिकारी **सामाजिक** न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृति स्वीकृत की जावेगी।

17. **योजना की मोनिटरिंग** एवं बजट **आवंटन :-** मिरासी (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगनियार, **दमामी**, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय उत्तर मैट्रिक **छात्रवृति योजना के कियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन** की कार्यवाही निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी।

18. **नियमों में संशोधन** करने की **प्रक्रियाः-** उक्त योजना के दिशा-निर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के दिशा-निर्देश के अनुरूप जारी किये जा रहे है जिसमें वित्तीय व्यवस्था के अतिरिक्त शेष प्रावधान अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/परिपत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश स्वतः प्रभावी होगें।

19. **दिशा-निर्देशों का विनिर्णय :-** इन दिशा-निर्देशों की व्याख्या निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जा सकेगी एवं इनमं कोई भी परिवर्तन/संशोधन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(अनुप्रेरणा सिंह कुंतल)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13 ( )ब.घो.22-23/61/मिरासी//छात्र/सान्याअवि/19/75755-95 जयपुर,दिनांकः 17-01-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. जिला कलक्टर .....
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .....
9. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. उपनिदेशक (पि.जा.), मुख्यावास।
11. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बंध में सम्बधित को निर्देशित करावें
12. सयुंक्त निदेशक (योजना)/वित्तीय सलाहकार/ उपनिदेशक (देवनारायण)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .....
14. आदेश पत्रावली।

16.1.23

(प्रहलाद सहाय नागा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)